झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0(शि0) गढ़वा / PDS–96 / 2021 – 650

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक :– 29.08.2023

विषयः– **श्रीमती चंद्रमुखी कुमारी, मुखिया, ओबरा पंचायत, प्र0–बरडीहा, जिला–गढ़वा द्वारा जनवितरण प्रणाली से संबंधित दिये गये सुझावों का प्रेषण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि श्रीमती चंद्रमुखी कुमारी, मुखिया, ओबरा पंचायत, प्र0–बरडीहा, जिला–गढ़वा के पत्रांक–151 दिनांक–26.07.2023 आयोग को प्राप्त है। प्राप्त पत्र में जनवितरण प्रणाली से संबंधित कुल–06 बिन्दुओं पर सुझाव दिया गया है।

अतः प्राप्त आवदेन पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

29/8/23

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

D:\Premlata\vinod sir.docx114

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

Date 26/07/2023 26/07/23

156

चन्द्रमुखी कुमारी
(मुखिया)
ग्रामपंचायत-ओबरा

झारखण्ड सरकार

-: पत्राचार का पता :-

ग्राम-ओबरा, पोस्ट- हरिगावां थाना-बरडीहा,
जिला-गढ़वा, झारखण्ड, 822114
दुरभाष-7857972146
ईमेल-chano7676@gmail.com

पत्रांक-बरडीहा / पं0—ओबरा / मुखिया / 2023— 151 /

दिनांक 26-07-23

100 21.8.2023

सेवा में,

श्रीमान् अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रांची।

विषय :— आवश्यक कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है कि, कृपया निम्नलिखित सुझाओं पर आवश्यक कार्रवाई करना चाहेंगे—

1. जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के निर्बाध संचालन व लाभुकों की कठिनाईयों को ध्यानगत रखते हुए जन वितरण प्रणाली दुकानों के नवसृजन हेतु नवीन अनुज्ञप्ति निर्गत करनें कि व्यवस्था की जाए।
2. गंभीर असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु आपात स्थिती में पात्र व्यक्तियों का नाम राशन कार्ड में जोड़नें अथवा नवीन राशन कार्ड निर्गत करनें का अधिकार उपायुक्त, गढ़वा को दिया जाए।
3. वैसे लाभुक जिन्हें प्रशासनिक / विभागीय भूल के कारण खाद्यान्न अधिप्राप्त नहीं हो पाता है, उस दशा में संबंधित लाभुकों को खाद्य सुरक्षा भता नियम, 2015 के अधीन खाद्य सुरक्षा भता का भुगतान अनिवार्य रूप से कराया जाए।
4. जन वितरण प्रणाली दुकानदार से रसीद निर्गत कराने तथा इसकी उपलब्धता राशनउठावकर्ता को सुनिश्चित करानें हेतु विभागीय स्तर से कठोरतापूर्वक अनुपालना कराया जाए।
5. झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, रांची का शिकायत संख्या तथा आयोग में शिकायत पंजीकृत करानें से संबंधित संपूर्ण जानकारी लोकसूचनार्थ सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों पर प्रकाशित कराया जाए।
6. पंचायत स्तरीय निगरानी समिति के कार्यों का नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाए।

अतएव, आपसे अनुरोध है कि, कृपया उपारान्कित सुझाओं पर कार्रवाई करनें की कृपा करें ताकि जन वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके।

विश्वासभाजन,
26-07-2023

चंद्रमुखी कुमारी
मुखिया
ओबरा पंचायत
प्रखंड-बरडीहा